

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन **DEFENCE R&D ORGANISATION** भारत सरकार, रक्षा मत्रालय **GOVERNMENT OF INDIA** MINISTRY OF DEFENCE मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेगलूरु MARATHAHALLI COLONY P.O. **BENGALURU - 560 037**

वर्ग अनुमोदन सं. 1535 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 1535

विषय/Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ2-एफ/टी प्रोब, पार्ट सं. 2350 00 000/ Fuel Content Gauge (FCG), F2-F/T Probe, Part No. 2350 00 000

यह घोषित किया जाता है कि ए एस ई आर डी सी, मेसर्स एच ए एल, लखनऊ- 226 016 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स हिंदस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 द्वारा उत्पादित " फ्यूल कंटेन्ट गेज (एफसीजी), एफ2-एफ/टी प्रोब " पार्ट सं. 2350 00 000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1535, दिनांक 05 अक्तबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1535 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Fuel Content Gauge (FCG), F2-F/T Probe" bearing the Part No. 2350 00 000, Designed, Developed by ASERDC, M/s HAL, Lucknow - 226 016 and Manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No. 1535 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1535, Dated: 05th October 2010 which was valid up to 31st December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जून 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 जून 2021 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(लखनऊ), द्वारा एच ए एल लखनऊ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगीं।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f.01st June 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30^{th} June 2021 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), C/o. HAL Lucknow Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016, Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1535/1R

दिनांक/Date : **30** June 2016 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)